संख्या- 08/ 2020 /ए-1- 305 /दस-2020-15(1)/96 टी0सी0

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2020

विषय - COVID-19 के कारण लॉकडाउन की अवधि में,विशेष रूप से दिनांक30 व 31 मार्च, 2020 को प्रदेश के कोषागारों में बिल प्रस्तुतिकरण के समय उचित दूरी (Social Distance) बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोरोना वाइरस (COVID-19) के संक्रमण से रोकथाम हेतु किसी भी स्थल पर अनावश्यक भीड इकठ्ठा न होने देने तथा उचित दूरी (Social Distance) बनाये रखने के दिशा-निर्देश जारी हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तिम दिवसों में कार्य की अधिकता के कारण आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में देयक अधिक संख्या में प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है, जिसके कारण कोषागारों में अधिक संख्या में कार्मिकों की उपस्थिति सम्भावित है।

2- अत: उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में देयकों को प्रस्तुत करने की इस प्रकार व्यवस्था की जाय कि कोषागार में अनावश्यक भीड इकठ्ठा न हो तथा देयक प्रस्तुत करने वालेकार्मिको के मध्य उचित दूरी (Social Distance) बनाये रखा जाय। साथ ही समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी कोषागार स्तर पर बिल प्राप्ति, पारण एवं भुगतान हेतु उपस्थित कार्मिकों के Social Distancing हेतु समुचित प्रबन्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या- 08/ 2020 /ए-1- 305 /दस-2020-15(1)/96 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in